

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
16/08/2025

रजिस्टर्ड नम्बर  
2025/18

प्रवेश तिथि  
07.01.2025

निर्णय दिनांक  
30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

## बनाम

1. इमरती पत्नी कुन्नी जाति चमार सा० भुवाका, तहसील अलवर जिला अलवर (राज०)।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14  
(4) मू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:-

01-श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

## —:निर्णय:-

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम भुवाका, तहसील अलवर, जिला अलवर की आराजी खसरा न० 481/521 रकबा 1.26 है० किस्म बारानी-1 भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न० 481/521 रकबा 1.26 है० किस्म बारानी-1 भूमि वाके ग्राम भुवाका, तहसील अलवर की आराजी का वर्ष 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

पटवारी हल्का ककराली की रिपोर्ट दिनांक 14.11.2024 से स्पष्ट जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा-काश्त नहीं है तथा ना मौके पर फसल पाई गई है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा न० 481/521 रकबा 1.26 है० किस्म बारानी-1 भूमि वाके ग्राम भुवाका तहसील अलवर जिला अलवर की आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने से जवाब बंद किया गया है। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित खसरा न० 481/521 रकबा 1.26 है० किस्म बारानी-1 भूमि वाके ग्राम भुवाका मौके पर अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए किया गया था। आराजी खसरा न० 481/521 रकबा 1.26 है० किस्म बारानी-1 भूमि वाके ग्राम भुवाका गैर खातेदार अप्रार्थी इमरती पत्नी कुन्नी जाति चमार नि० भुवाका के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का ककराली

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज०)

की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार ग्राम भुवाका के आराजी खसरा न0 481/521 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी-1 भूमि पर वर्तमान में गैर खातेदार (अप्रार्थी) का कोई कब्जा नहीं है तथा मौके पर कब्रिस्तान एवं मकानात बने हुए हैं तथा आंशिक भाग पर पेड़ एवं बड़ी-बड़ी झाड़ियां हैं। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान द्वारा जाहिर आया कि उक्त खसरा नंबर का मेव एवं वाल्मिकी समुदाय द्वारा कब्रिस्तान के तौर पर उपयोग में लिया जा रहा है। मौके पर कवरें बनी हुई हैं। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि गैर खातेदार अप्रार्थी/अलोटी इमरती पत्नी कुन्नी पिछले 35 साल पहले पंजाब चले गये थे। मौके पर गैर खातेदार अप्रार्थी का पिछले 35 वर्षों से कब्जा नहीं होना जाहिर किया गया। रिपोर्ट पटवारी हल्का ककराली से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि का आवंटन होने के बाद अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटनी/अप्रार्थी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थी का कब्जा काशत रहा है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी एवं द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई आराजी खसरा न0 481/521 रकबा 1.26 है0 किस्म बारानी-1 भूमि वाके ग्राम भुवाका तहसील अलवर जिला अलवर के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)  
अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम)  
अलवर, (राज0)